03/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उभय पक्ष उप. प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है विस्तृत निर्णय शामिल किया गया नंबर से कट हो।

GCMS
2015/00275

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 98/2015 GCMS:-2015/00275 दायरा दिनांक 01.06.2015

1. ख्यालीराम पुत्र श्री गोमन्दराम जाति कुम्हार निवासी 4 एम.आर.एम जी.बी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– प्रार्थी –

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधी भू–धारक।

– अप्रार्थी –

उपस्थित :– 1. श्री भगवानदत शर्मा (अभिभाषक प्रार्थी)
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 03.12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई प्रार्थी के अभिभाषक उप0 राज्य सरकार की और से तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया। सक्षेप में पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ख्यालीराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया प्रार्थी एंव अन्य सहकाश्तकारो नाम से चक 4 एम.आर.एम पत्थर नं0 59/26 कि.न. 5, 6, 7, 8, 13, 23–24 में 12 बीघा पर्चा खतानी के मुताबिक खातेदारी अंकित थी। जिसमें चक 4 एम.आर.एम के प0नं0 59/26 के किला नं0 8, 13, 18, 23 में 0.253 है0 प्रत्येक अर्थात 1.012 है0 प्रत्येक में भूमि अकित बताई गई है। किन्तु जमाबन्दी बनाते समय अंकित खातेदारो की प.न. 59/26 कि.न. 8, 13, 18, 23 प्रत्येक मं 0.1520 है0 दर्ज कर शेष भूमि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के 0.101 है0 प्रत्येक अर्थात 0.404 हक0 कम दर्ज कर सड़क के नाम दर्ज कर दी गई जबकी इन किला जात में कोई सड़क है ही नही। भूलवंश सड़क दर्ज हुई है। व प्रार्थी की भूमि कम कर दी गई इसे दुरूस्त कर सड़क के नाम दर्ज चक 4 एम.आर.एम की प0नं0 8, 13, 18, 23 की 0.101 है0 अर्थात 0.404 है0 सड़क के नाम से कलमजन कर प्रार्थी के चक 4 एम.आर.एम तहसील सूरतगढ़ के प.नं0 59/26 किला नं0 8, 13, 18, 23 में 0.152 है0 प्रत्येक के स्थान पर 0.253 है0 भूमि दर्ज कर प्रार्थी के खाते की कुल 12 बीघा भूमि का वर्तमान जामबन्दी में खाता दुरूस्त कर कुल भूमी 12 बीघा का प्रार्थी के नाम अंकित काश्तकारो का खाता अंकित कर दुरूस्ती की जावें। चकबन्दी से पूर्व प्रार्थी का अन्य सहकाश्तकारों के साथ 12 बीघा भूमि खातेदारी थी। जिसे यथावत सही कर अंकन किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अप्रार्थी को तलब कर सुनवाई की गई। राज्य सरकार का जवाब प्राप्त ना होने पर जवाब बन्द कर तर्क सुने गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:18 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि परचा खातो कि चक 4 एम.आर.एम ख्यालीराम वगैरह के खाते में ख0नं0 26 में 14 = 15 बिस्वा बारानी एंव 0.6 बिस्वा गैरमुमकिन से चकबन्दी में चक 4 एम.आर.एम में प0नं0 59/25 में = 1.00 बीघा कमान्ड 59/34 में कि.नं0 11, 20 में 2.00 बिघा, प. न. 59/26 में कि.न. 5 ता 8, 13 ता 18, 23–24 कुल 15 बीघा कमाण्ड भूमि तरमीम की गई इसमें मुताबिक तरमीम चक 4 एम.आर.एम तहसील सूरतगढ़ के प.नं. 59/26

– लगातार 2 पर –

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में पर्चा खतौनी में अंकित काश्तकारों की भूमि प0नं0 59/26 चक 4 एम.आर.एम कि.न. 8, 13, 18, 23 में 1 बीघा प्रत्येक अर्थात 0.2530 है0 भूमि अंकित काश्तकारो काशीराम वगैरह के नाम दर्ज होनी थी जो की तैयारी जमाबन्दी के समय चक 4 एम.आर.एम पं0 नं0 59/26 के किला नं0 8, 13, 18, 23 में 0.152 है0 प्रत्येक दर्ज कर शेष भूमि 0.404 है0 सड़क के नाम दर्ज कर भूमि दर्ज की ग्रई जो लिपकीय भूल है इसे दुरूस्त करने की प्रार्थना की गई। पैरोकार राज तहसीलदार ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह लीपकीय भूल नहीं है बल्की बाद जांच कर बर वक्त तैयारी जामबन्दी सही अंकित किया है। काश्तकार को इससे आप्पती होने पर वह घोषणा द्वारा ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू–राजस्व अधिनियम निरस्त करने की प्रार्थना की।

पक्षकारो के तर्क सुनने के बाद तर्को के परिपकक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन करने पर पाया की काशीराम वगैरह के पर्चा खतोनी जिसमें ख्यालीराम भी अंकित काश्तकार है की बर वक्त चकबन्दी ग्राम 4 एम.आर.एम में ख0नं0 26 की अंकित काश्तकारो काशीराम वगैरह की भूमि में 14 = 15 बीघा बारानी व 0.6 बिस्वा गैरमुमकिन कुल 15 = 04 बीघा भूमि में पं.नं. 59/25 में 1.00 बीघा 59/24 में 2.00 बीघा व प्रश्नगत पं0 नं0 59/26 में कि.न. 5 ता 8, 13 ता 18, 23, 24 में प्रत्येक में 1 बीघा अर्थात 0.253 है0 प्रत्येक कुल 15 बीघा कमाण्ड की गई इसमें सड़क का अंकन नहीं है। किन्तु बर वक्त तैयारी जमाबन्दी चक 4 एम.आर.एम के पं0 नं0 59/26 के किला नं. 8, 13, 18, 23 में 0.1520 है0 प्रत्येक में दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार से काश्तकार का रकबा कम हो गया है जो कि उसके पूर्व में धारित कुल भूमि से कम हुआ प्रतीत होता है। किन्तु इसे लिपकीय भूल नही माना जा सकता है। यह बाद विचारण भी अंकन हो सकता है। जमाबन्दी दस्तावेजी रिकार्ड है इसे दस्तावेजी रिकार्ड में बाद पूर्ण सूनवाई पक्षकारो के अधिकार निर्णय किये जा सकते है जो कि नियमित वाद द्वारा की निर्णय किये जा सकते है। मामला धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम द्वारा सक्षिप्त सुनवाई (Sumanary Trial) द्वारा निर्णय योग्य नही पाया जाता पक्षकार अपने अधिकार काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में नियमित वाद प्रस्तुत कर ही अनुतोष पाने के अधिकारी प्रतीत होते है। राज्य हित निहित है। इसलिये मामला सक्षिप्त सूनवाई योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार मामला 136 भू–राजस्व अधिनियम की सीमा में ना आने से निरस्त किया जाता है। पक्षकार नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश दिनांक 03.12.24 को सुनाया गया पत्रावली तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

न्यायालय सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)